न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	53/2022
दायर दिनांक	:	28.09.2022
निर्णय दिनांक	:	05.02.2025

1. जगदीश प्रसाद मीना पुत्र परत्या उर्फ़ रामप्रताप मीना जाति मीना, निवासी अयोध्या नगर, दौसा तहसील व जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. रामजीलाल पुत्र परत्या उर्फ रामप्रताप मीना जाति मीना, निवासी अयोध्या नगर, दौसा तहसील व जिला दौसा
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र परत्या उर्फ रामप्रताप मीना जाति मीना, निवासी अयोध्या नगर, दौसा तहसील व जिला दौसा
4. रामप्यारी पुत्री परत्या उर्फ रामप्रताप पत्नी रामकिशन जाति मीना, निवासी ग्राम चावण्ड तहसील व जिला दौसा
5. लड्डो देवी पुत्री परत्या उर्फ रामप्रताप पत्नी कृष्ण जाति मीना, निवासी ग्राम झर रेल्वे स्टेशन के पास, तहसील बस्सी जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अयोध्या नगर, दौसा कलां जिला दौसा का रहने वाला है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 343 रकबा 0.54 है॰ ग्राम दौसा कलां स्थित है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद प्रार्थी ने अपनी कब्जे काश्त की भूमि की विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करवाया। प्रार्थी का रिकॉर्डेड नाम दस्तावेजात के अनुसार जगदीश प्रसाद है व प्रार्थी का घरेलू नाम गंगासहाय कहकर भी पुकारा जाता है। इस प्रकार प्रार्थी की उक्त भूमि का नामान्तकरण में प्रार्थी के दोनों ही नाम गंगासहाय पुत्र परत्या व जगदीश प्रसाद पुत्र परत्या के नाम से दो नामान्तकरण तस्दीक हो गये हैं। प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद मीना पुत्र परत्या उर्फ रामप्रताप मीना है। प्रार्थी का बचपन का नाम गंगासहाय पुत्र परत्या है। दोनों ही नाम प्रार्थी के हैं। सहवन व भूलवश राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दो जगह गंगासहाय पुत्र परत्या व जगदीश पुत्र परत्या के नाम दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद पुत्र परत्या उर्फ रामप्रताप है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दोनों नाम गंगासहाय पुत्र परत्या व जगदीश प्रसाद पुत्र परत्या उर्फ रामप्रताप दर्ज हो रखा है। इसमें से गंगासहाय पुत्र परत्या का नाम लोपित किया जाकर उसके स्थान पर जगदीश पुत्र परत्या उर्फ रामप्रताप दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:38:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज बंशीवाल ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने जवाब में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जताया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया कि ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 343 रकबा 0.54 है० की भूमि गंगासहाय हिस्सा 1/4, जगदीश प्रसाद हिस्सा 3/10, रामजीलाल हिस्सा 3/10, लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/20 पुत्रान परत्या, रामप्यारी लड्डो पुत्रियान परत्या हिस्सा 1/10 जाति मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। परत्या के फौत होने पर उनके वारिसों के नाम नामान्तकरण खोलते समय गंगासहाय नाम सहवन से गलत दर्ज हो गया एवं लक्ष्मीनारायण का नाम सहवन से छूट गया। गंगासहाय को ही जगदीशप्रसाद के नाम से पहचाना जाता है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। खसरा नम्बर 343 में गंगासहाय का नाम विलोपित कर जमाबन्दी में तीनों भाईयों का बराबर हिस्सा 3/10 – 3/10 एवं दोनों बहिनों का हिस्सा 1/20 – 1/20 दर्ज किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपने गलत दर्ज नाम गंगासहाय पुत्र परत्या को विलोपित करवाना चाहता है। प्रश्नगत आराजी के शेष खातेदारों अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जतायी है। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा ने प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में गंगासहाय का नाम विलोपित कर जमाबन्दी में तीनों भाईयों का बराबर हिस्सा 3/10 – 3/10 एवं दोनों बहिनों का हिस्सा 1/20 – 1/20 दर्ज किया जाना उचित माना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 343 रकबा 0.54 है० के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार गंगासहाय पुत्र परत्या जाति मीना हिस्सा 1/4 का नाम विलोपित किया जाकर जगदीशप्रसाद पुत्र परत्या जाति मीना, रामजीलाल पुत्र परत्या जाति मीना एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र परत्या जाति मीना तीनों का बराबर हिस्सा 3/10 – 3/10 – 3/10 दर्ज किया जावे एवं रामप्यारी पुत्री परत्या जाति मीना व लड्डो पुत्री परत्या जाति मीना का हिस्सा यथावत् 1/20 – 1/20 रखा जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:38:39 IST
Reason: SelfAttested